JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, भारतीय संघवाद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में:

शोधकर्ता: राजू

सारांश- केंद्र अब राज्यों के पारस्परिक संबंधो के आधार पर दो तरह की प्रणालियों एकात्मक अब संघात्मक का वर्गीकरण किया गया है राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत किया गया है कि परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार संविधान या तो एकात्मक हो सकते हैं या परिसंघीय यह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में किया गया था अमेरिकी संविधान विश्व के परिसंघ संविधान में सर्वाधिक प्राचीन हैं भारतीय संविधान निर्माता के सम्मुख प्रश्न मुख्य था की संविधान का स्वरूप संघात्मक होगा या एकात्मक संविधान निर्माता ने भारत की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार एक अनुच्छेद एकात्मक परीक्षण के मिश्रण के प्रतिमान की व्याख्या की थी

भारतीय संघीय व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे धारा 370 तथा 35 ए देखने को मिलता है जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत एक विशेष प्रावधान किया गया था बहुत हद तक केंद्र सरकार के निर्णय और जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते हैं जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संसद संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि उपज बाजारों के संबंध में एक कानून नहीं बन सकती है क्योंकि कृषि और राज्य के विषय हैं संघवादी व्यवस्था में केंद्र राज्य तथा समवर्ती सूची के विषय उसे प्रकार नहीं है जैसे अन्य राज्यों में देखने को मिलता है तथा 35 ए जम्मू कश्मीर के लोगों की नागरिकता प्रदान करता है कौन-कौन नागरिक होगा यह निर्णय वहां की विधानसभा लेती है संसद की भूमिका न के बराबर हो जाती है लेकिन 2019 में 370 के संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अब सभी प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार के होंगे|

प्रस्तावना- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1)के अनुसार भारत राज्यों का संघ है दूसरी ओर सरकार की प्रणाली संघात्मक से भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है जबकि भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या कार द्वारा नहीं हुई है साथ ही राज्यों की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने की वजह से भारतीय संघ के असली स्वरूप विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है जबकि संघात्मक राज्य की परिभाषा को लेकर कोई मतैक्य नहीं है|

भारतीय संघवाद में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सरकार की मुख्य विशेषताएं केंद्र तथा राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है (1) संघ सूची (2)राज्य सूची (3)समवर्ती सूची साथ ही दृश्य दुनिया विधायिका न्यायपालिका की सर्वोच्चता एकल नागरिकता संघवाद की विशेषता है अब विद्वान अनुसार किसी परिसंघ के निर्माण हेतु दो स्थितियां अपेक्षित होती हैं प्रथम ऐतिहासिक रूप से राज्यों का एक ऐसा निकाय होना आवश्यक है जो स्थानीय नल अथवा सामान्य राशिता की छाप के आधार पर निकटता से जुदा हो तृतीय राज्यों के बीच मनोभावों की बहुत ही विशिष्ट स्थिति विद्वान होनी चाहिए जो संगठित होने के लिए प्रेरित करती हो एक होने की इच्छा के अभाव में संघवाद का कोई भी आधार नहीं बन सकता कुछ भारतीय अब विदेशी विद्वानों द्वारा भारत को अर्ध संघ के रूप में भी विचित किया गया है जबकि कुछ इस संघात्मक की वजह एकात्मक व्यवस्था बताते हैं भारतीय संविधान के संघवादी ढांचे के बीच अनूठी विशेषताओं के कारण ही भारतीय संघवाद के स्वरूप के संबंध में दो परस्पर विरोधी मतों में विवाद रहा है भारतीय संघवाद के संबंध में विविध संविधान शास्त्रियों के मध्य विवाद रहा है अथवा दृष्टिकोण उबरे हैं संविधान शास्त्री और विद्वानों के एक वर्ग की मान्यता है कि भारत का संविधान संघात्मक कम और एकात्मक अधिक है इस दृष्टिकोण की प्रधानता किसी वेयर के विचारों में परिलक्षित होती है कि जिनके अनुसार "भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है" भारत का संविधान जो ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंघ कप है यह एक एकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुसांगी परी संज्ञा लक्षण हैं न बनर्जी के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है किंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर हो रहा है नॉर्मन दी पामर के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने संघात्मक स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है

ब्रिटिश विद्वान के वहेयर भारत का एक ऐसे एकात्मक राज्य के रूप में वर्गीकरण किया गया है जो गुनिया अप संघात्मक लक्षणों से युक्त है भारत को एक सच्चा संघ मानते हैं व्यक्ति अन्य दूसरे संघो की भांति यह भी भिन्न-भिन्न लक्षणों को प्रकट करता है| इन विभिन्न लक्षणों के आधार पर भारत अर्थ संघ मानना गैर तरफ संगत है नॉर्मन डी पामर के अनुसार भारतीय गणराज्य के ऐसे विशेष लक्षणों को प्रकट करता है जो राज्य के अनिवार्य संघीय स्वरूप कर देते हैं अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था और यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है और राज्य को अपना संविधान खुद तैयार करने का क्योंकि इस तरह की विधानसभा 26 जनवरी 1957 को भंग कर दी गई इसलिए एक विचार यह है कि अब इसे हटाया नहीं जा सकता है लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यह कार्य किया जा सकता है लेकिन केवल राज्य विधानसभा की सहमति से

अनुच्छेद 370 के प्रभाव होने वाले परिवर्तन:

1. कानून लागू होंगे - आर्टिकल 370 के हिसाब से रक्षा विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी पड़ती थी अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू हो जाएगा|

2. जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा- क्या आपने ध्यान दिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार के किसी कार्यक्रम में दो झंडे लगे होते हैं कश्मीर का एक अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का तिरंगा झंडा भी इसका एक राष्ट्रीय ध्वज है आर्टिकल 370 को हटा दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो जाएगा|

3. जम्मू कश्मीर का है अपना संविधान- आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है भारत के संविधान के हिसाब से इसका कामकाज नहीं चलता अब जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चल सकेगा|

4 .दोहरी नागरिकता खत्म होगी- इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को दो तरह की नागरिकता मिली हुई थी अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद यह खत्म हो जाएगी और सबको भारत का नागरिक माना जाएगा

5. आर्टिकल 370 की वजह से देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते संपत्ति खरीदने का मूलभूत अधिकार सिर्फ यहां के निवासियों के लिए लागू था अब आर्टिकल 370 के हटने के साथ ही अन्य भारतीय लोगों को कश्मीर में संपत्ति खरीदने की अनुमति मिल जाएगी अब देश के दूसरे इलाके के लोग भी जम्मू कश्मीर में रह और /बस सकेंगे

6. आप भी कर सकेंगे नौकरी- भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही है पूरे जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इसके दायरे में लाने के लिए राष्ट्रपति की विशेष आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी सूचना का अधिकार शिक्षा का अधिकार जैसे कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोगों भी चुने जा सकेंगे

7. नागरिकता खत्म नहीं- इस वक्त अगर कोई पाकिस्तानी युवक किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तानी युवक कश्मीरी से शादी करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगा

8. भारतीय संविधान के दायरे में- भारतीय संविधान के दायरे भाग 4(राज्य के नीति निर्देशक तत्व) और 4ए (मूल कर्तव्य) अब तक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखित मूल कर्तव्यों को मनाना अनिवार्य हो जाएगा इसमें महिलाओं की अस्मिता गायों की रक्षा करनी पड़ेगी

9. पाकिस्तान को अब नागरिकता नहीं- इस वक्त अगर कोई पाकिस्तानी युवक किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तानी युवा कश्मीरी से शादी करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगा|

10. आर्थिक आपातकाल लगाना संभव- आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज आदि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 लगाया जा सकेगा|

जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक -: भारत के संविधान के अधीन जम्मू कश्मीर की अनोखी स्थित है यह संविधान के अनुच्छेद एक में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है यह संविधान की यथा संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15 व राज्य हैं मूल संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 1 (3) भाग 6 पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र राज्य विनादेश किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 6 राज्यों के पर वर्ग का समापन कंसंट्रेशन कर दिया गया है साथ ही संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पुनर्गठन अधिनियम 1956 से किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत संघ की राज्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया गौरव क्लब है की मूल संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था जिससे भारत के संविधान के सभी उपबंध जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट राज्यों में से एक है परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के उपदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त किया विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है अतः उसे पर वे सभी उपवन इस प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं|

अनुच्छेद 370 के प्रावधान-: जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है और इसे भारत के संविधान के भाग एक तथा अनुसूची एक में रखा गया है किंतु उसका नाम क्षेत्रफल या सीमा को केंद्र द्वारा बिना इसके विधानसभा की सहमति से नहीं बदला जा सकता है जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है तथा इसी संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है अतः भारत की संविधान का भाग 6(राज्य सरकार से संबंधित) इस राज्य पर लागू नहीं है इस भाग के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है सांसद राज्य के संबंध में संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर विधि बना सकती है परंतु अवशेषीय है शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास हैं शिवाय आतंकवादी कृतियों में संयुक्त हो संरक्षण और भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता पर प्रश्न या विघटन करने वाले मामले राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय गान और भारत के संविधान का सम्मान ना करना|

अनुच्छेद- 35A

(1) अनुच्छेद 35A को में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया|

(2) 1954 के जी आदेश से अनुच्छेद 35a को संविधान में जोड़ा गया था वह आदेश अनुच्छेद 370 की अवधारणा (1)के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था|

(3) यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थाई नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है

(4) राज्य जिन नागरिकों को स्थाई आदिवासी घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने अब विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं

(5) यदि जम्मू कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह यह नागरिकता को देगा|

निष्कर्ष- राज्य में पिछले तीन चार दशकों से जिस तरह के हालात बने हुए थे उसे देखते हुए यह जरूरी भी हो गया था कि इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया जाए ऐसा करते समय जाहिर है सरकार के सामने राजी के विकास को लेकर अपनी परिकल्पनाएं होगी वैसे भी यह संवेदनशील कदम काफी सोच विचार के बाद ही उठाया गया होगा राज्य की संवेदनशील स्थिति के मैनेजर किसी भी जोखिम से निपटने की रणनीति सरकार के पास होगी अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को दो राज्यों से बढ़ देने के बाद भी वहां अपने चैन कायम हो पाएगा या नहीं ? जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है तथा वहां के नागरिकों के साथ भेदभाव समाप्त हो गया है तो संघात्मक व्यवस्था में जिस प्रकार केंद्र राज्यों तथा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार ही कानून का निर्माण करेगा और अब सभी प्रकार कानून केंद्र सरकार के माने जाएंगे तथा जो दोहरी नागरिकता नीति निर्देशक सिद्धांत मूल कर्तव्य जो लागू नहीं होते थे लेकिन धारा 370 संशोधन के बाद वहां सारे निर्णय केंद्र सरकार के होंगे अब वहां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि|

संदर्भ ग्रंथ

1. दुर्गादास बसु, भारत का संविधान एक परिचय, लेनसिस, प्रकाशन, पृष्ठ72

2. के .सी .व्हीयर , फेडरल गवर्नमेंट, 1951, पृष्ठ 28

3. सुभाष कश्यप. हमारा संविधान .नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1995

4. ए .एस .नारंग .भारतीय शासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1998 पृष्ठ 75

5. गुप्ता दास, जम्मू कश्मीर (1968). P पृष्ठ198 -200

6. जितेंद्र दीक्षित : कश्मीर 370 के साथ और बाद

7. प्रदोष कुमार : भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति

8. ऋतु कोहली: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या प्रभात प्रकाशन दिल्ली

9. जगमोहन मल्होत्रा : अशांत कश्मीर चुनौतियां और समाधान अंग्रेजी पुस्तक माय फ्रोजन टर्बूलेंस इन कश्मीर संस्करण. पब्लिशर्स नई दिल्ली

10. अशोक कुमार पांडे .कश्मीर नाम इतिहास और समकाल राजपाल पब्लिकेशन कश्मीरी गेट दिल्ली 11006

11 .इंडिया टुडे 1 जनवरी 2022

12. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका जुलाई दिसंबर 2018 पृष्ठ-364

13. अल्ताफ गौहर अखूब खान यूनाइटेड प्रेस, ढाका 1996 , पृष्ठ -166

14. दास गुप्ता जम्मू एंड कश्मीर (1968) पेज नंबर 198-200

15. पूरी स्टेट पॉलिटिक्स : जम्मू एंड कश्मीर(2015) पृष्ठ,220-21